कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्रविशिपरिषद/सम्बद्धता/2021/3833 **लखनऊ: दिनांक: [illegible]**

:कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सिद्धान्त वर्ष 2021-22 हेतु डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रमों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- [illegible] को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता, पूर्व से संचालित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्थाओं को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ विस्तार प्रदान की जाती है:

संस्था का कोड एवं नाम : 1388-BHOLE RAM COLLEGE OF PHARMACY, VILL. HAZIPUR, HATHRASVill. - Hazipur, Kaliora - Jalesar Road, Dist.- Hathras (UP)

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	पू0 आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पू0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद अधि0 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद नियमावली, 1963, शैक्षणिक नियमावली-2014 तथा अन्य नियमित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क दीन दयालु उपाध्याय पाठ्यक्रमों हेतु रूपए 30,150.00/- प्रतिवर्ष (दो सौ तिरपन रुपये) पाठ्यक्रम हेतु रूपए- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रूपए- 22500.00/- प्रतिवर्ष कुल दो वर्षीय पाठ्यक्रम में एकत्र किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त पाठ्यक्रम की शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किए जाने वाले आदेश प्रभावी होंगे, और संशुधित फार्मेसी किए जाने/अवधारण होगा। परिषद निर्धारित समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु शुल्क का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो प्रवेश की अतिरिक्त फीस लागू होगी।
- ✓ संस्था को 120000 प्राविधिक शिक्षा अधिनियम तथा उस अधिनियम, नियमावली की धारा 2 में परिभाषित, नियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के दिशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था की समय-समय पर विधि सरकार/प्रदेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को पू0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 के अवार्ड का हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये नियमावली/अधिनियम/शासनादेश/परिपत्र एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्था यदि पी0सी0आई0, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई दायित्व नहीं होगा। यदि इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकूल कार्यवाही अथवा निर्णय लिया जाता है तो समस्त प्रतिकूल परिणाम संबंधित संस्था को करने होंगे।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश लेने के लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्राप्त होगी। वे पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की काउन्सिलिंग के पश्चात से अपने संस्था स्तर पर कोई प्रवेश/अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की इंस्टीट्यूशन गृहि पुस्तिका, फाइल, सार-संक्षेप, उपस्थिति, प्राप्त किए जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के साथ शैक्षिक सेशन के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रवेशित संचालित पाठ्यक्रम की बढ़ाई जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, उपकरण, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के उपयोग में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त किए जाने की कार्यवाही की

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्रशिक्षण/परिषद् सम्बद्धता/2022/[illegible] लखनऊ: दिनांक- 30/08/2022

-कार्यालय ज्ञाप-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली (AICTE) के मानदण्डों के अनुसार प्रदत्त किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद् कार्यालय में सम्बद्धता बैठकों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता पूर्व में संचालित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम वार प्रवेश क्षमता वृद्धि तथा/ [illegible] सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है।

संस्था का कोड एवं नाम : 1304-BHOLE RAM COLLEGE OF PHARMACY			
क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एआईसीटीई/पीसीआई द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईसीटीई/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी कुल शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् एक्ट 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, ऑनलाइन विनियमावली 2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क- तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष की वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं से लिया जायेगा। छात्रों के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों से शुल्क के सम्बन्ध में शासन/परिषद द्वारा निर्गत किये गये सभी शासनादेश प्रभावी होंगे, और अनुपालन कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा। यदि नियामक समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु शुल्क का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो उसका भी तत्काल लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को शासन/शासन एवं निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्धारित शर्तों सम्बन्धित शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमावली/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशालय, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा जारी नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का एआईसीटीई/पीसीआई/अन्य से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में संस्था उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा शासन द्वारा दण्ड के रूप में, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्था को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश तथा प्रवेश हेतु आनलाइन काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व एआईसीटीई/पीसीआई/अन्य से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उनके प्रवेश की काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर मेरिट सूची अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु स्थान/सीट का निर्गत नोटिफिकेशन/आरक्षण नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनायें जैसे संस्था की रिजिडेंशियल पूर्ति भूमि, भवन, भाग संख्या, उपकरण, प्रदान किया जाने वाला शुल्क, पाठ्यक्रम सुविधा आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षक प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त कलाकार उपलब्ध कराने के साथ रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित संबद्धित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी कि संस्था उपलब्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक कमेटी निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एआईसीटीई/पीसीआई/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

कार्यालय
माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक:- प्रशिक्षण/परिषद सम्बद्धता/2020/[illegible] लखनऊ: दिनांक: 14-8-2020

—कार्यालय ज्ञाप—

[illegible] माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/[illegible] कार्यालय [illegible] द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु [illegible] माध्यमिक शिक्षा सम्बद्धता को अनुमोदन प्रदान हेतु [illegible] माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के [illegible] सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को आयोजित माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की बैठक में परिषद सचिवालय के बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु [illegible] नई सम्बद्धता की, सम्बद्धता/वृद्धि के लम्बित प्रस्तावों को सम्बद्धता निरस्त/[illegible]/प्रदेश बनाया हुआ, परिषद बैठक में प्रस्तुत किया हुआ सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के पृष्ठ-8 में निम्नवत इस कार्यवाही अनुमोदन [illegible] जाने वाली नई संस्था का प्रकरण सहा [illegible] सम्बद्धता समिति द्वारा [illegible] दिनांक-दिनांक का निम्नवत विवरण दिया गया :-

"सत्र 2020-21 हेतु प्रकाशित होने वाली विज्ञप्ति इस फर्नेडी संस्था, जिसे पीएमटीआईए द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है, को सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सत्र 2020-21 हेतु निर्गत पीएमटीआईए अनुमोदन पत्र के आधार पर सर्वसम्मति से सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रकरणगत संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कराया जाये एवं निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पीएमटीआईए/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएगी।"

अतः निम्नवर्णित संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा दिये गये निर्णय के आधार पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक प्रवेश प्रदान हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र0 सं0	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीएमटीआईए द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	[illegible]	[illegible]	40	40

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था पीएमटीआईए/पीएमटीआईए द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- [illegible] माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद [illegible] विनियमावली-2011 तथा उक्त संस्था [illegible] एवं अधीनस्थ को अनुपालन करेगी तथा [illegible] शुल्क [illegible] हेतु रू0 [illegible]/- [illegible], [illegible] चालीस हजार हेतु रू0 [illegible]/- प्रतिवर्ष एवं एक बार की [illegible] के अधिकार हेतु रू0 [illegible] परिषद शुल्क के अतिरिक्त [illegible] के अन्य विषय अलग। [illegible] के [illegible] पत्र/[illegible] से प्राप्त की [illegible] के [illegible] द्वारा निर्गत किये गये [illegible] प्रति अनुपालन करेगी।